मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन–462003

क्रमांक एफ 1-49/2012/20–1 भोपाल, दिनांक 05/10/2012

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
2. समस्त आयुक्त नगर निगम,
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
5. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिवासी विकास विभाग,
6. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत, मध्यप्रदेश।

विषयः– **संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 के रिक्त पदों का अनुमोदन उपरान्त वितरण।**

—0—

मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 (संशोधन दिनांक 27 जून 2011 सहित) तथा मध्यप्रदेश नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 (संशोधन दिनांक 22 जून 2011 सहित) के नियम 4 (1) के तहत् कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत आयुक्त, लोक शिक्षण को जिलों से प्राप्त प्रस्तावों में वर्णित रिक्त पदों के आकलन के आधार पर तथा दिनांक 01.04.2011 के उपरांत संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 के स्वीकृत पदों को सम्मिलित कर जिले के लिए उपलब्ध कुल रिक्त पदों की जानकारी संलग्न **परिशिष्ट–एक** में दर्शित है। उपलब्ध कराये जा रहे रिक्त पदो के आधार पर **संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 के नियोजन के संबंध में निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जाए :–**

1. संविदा शाला शिक्षकों के इन पदों की भर्ती के लिए नियम, 2005 एवं संशोधित नियम 2008 तथा इस संबंध में जारी विभिन्न परिपत्रों में वर्णित निर्देश का पालन करते हुए उपलब्ध कराये जा रहे सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के रिक्त पदों का चिन्हाकन निकायवार, विषयवयार, आरक्षणवार एवं विद्यालयवार कर लिया जाए।
2. कंडिका–1 में वर्णित रिक्त पदों के चिन्हाकन की कार्यवाही जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, नगरीय निकाय के आयुक्त नगरपालिक निगम, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत (यथा स्थिति), जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास/जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा की जावेगी। जिला शिक्षा अधिकारी समन्वय का कार्य करेगें। चिन्हाकित शालाओं की सूचियों पर जिला कलेक्टर का अनुमोदन प्राप्त कर अभिलेख के लिए सुरक्षित रखेगें।
3. संलग्न **परिशिष्ट–एक** अनुसार 3777 रिक्त पद उपलब्ध कराये जा रहे है जिनमें 1888 पद वरिष्ठ अध्यापक की पदोन्नति (परिशिष्ट–एक के कॉलम क्रमांक–16 अनुसार) के है एवं 1889 पद (परिशिष्ट–एक के कॉलम क्रमांक–17 अनुसार) संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 की सीधी भर्ती के है, जिनका उल्लेख जिले के नाम के सम्मुख **परिशिष्ट–एक** में किया गया है।
4. उन्नत हायर सेकेण्ड्री स्कूलों के लिए प्रत्येक शाला के लिए संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 से 8 पदों की पूर्ति निम्न विषयों के लिए की जानी है :–

   हिन्दी, अंग्रेजी/संस्कृत, गणित, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवविज्ञान (वनस्पति विज्ञान/प्राणीविज्ञान), इतिहास/राजनीतिशास्त्र एवं अर्थशास्त्र/भूगोल।
5. **परिशिष्ट–एक** में अनुमोदित किए गए पदों की पूर्ति केवल जिला पंचायत अंतर्गत संस्थाओं में की जाना है। **नगरीय निकायों की संस्थाओं के लिए रिक्त एवं स्वीकृत नवीन पदों की पूर्ति शिक्षक/अध्यापक संवर्ग के स्थानांतरण/अंतरनिकाय संविलियन से शासन निर्देश प्राप्त होने के उपरांत की जाएगी। अतः नगरीय निकायों के लिए स्वीकृत नवीन पदों एवं रिक्त पदों को उतनी संख्या में पद पूर्ति के पूर्व कम कर लिया जाए।**

6. आपके जिले के लिए अनुमोदित पदों का निकायवार/विषयवार एवं जिले के लिए निर्धारित आरक्षण रोस्टर अनुसार पदों का आरक्षण एवं निःशक्तजनों के लिए विषयवार पदों का चिन्हांकन कर जानकारी शासन के आदेश क्रमांक एफ 1–49/2011/20–1 दिनांक 10.01.2012 में उल्लेखित निर्देश के अनुसार विज्ञापन के निर्धारित प्रारूप में जिले की एकजाई जानकारी की साफ्ट/हार्ड कापी आयुक्त लोक शिक्षण को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

7. म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 27–49/2008/20–2 दिनांक 06.06.2011 के द्वारा शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 17.12.2008 द्वारा सांदिपनी संस्कृत भाषा का प्रसार योजना अंतर्गत 224 विकासखण्डों में संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के 224 स्वीकृत किये गये पदों को निरस्त करते हुए उनके स्थान पर प्रत्येक विकासखण्ड में एक पद के मान से संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 के 224 पद स्वीकृत किये गये है। स्वीकृत किये गये 224 पदों में से 50 प्रतिशत पद संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 के नियोजन से संचालनालय के आदेश क्रमांक/योजना/घ/उन्नयन/2011/22 दिनांक 06.02.2012 में दिये गये निर्देश के अनुसार भरे जाना है। 50 प्रतिशत पद संस्कृत विषय के अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति से पूर्ति की जाए। स्वीकृत किये गये यह पद **परिशिष्ट–एक** में दिये गये पदों के अतिरिक्त है।

8. रिक्त पदों को भरने पर इस वित्तीय वर्ष के शेष माहों में जो व्यय भार आवेगा उसका प्रावधान बजट में सम्मिलित कर स्थानीय निकायों एवं पंचायतों को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा ।

संलग्न : परिशिष्ट–एक

अवर सचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ 1-49/2012/20–1 भोपाल, दिनांक 05/10/2012

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, मा0 स्कूल शिक्षा मंत्री, म0प्र0 शासन।
2. निज सचिव, मा0 राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा, म0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर/भोपाल।
4. स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन।
5. अध्यक्ष, म0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, कक्ष क्रमांक–84, वल्लभ भवन, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग ,म0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, म0प्र0 शासन।
8. प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, म0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं आदिवासी विकास विभाग, म0प्र0 शासन।
10. आयुक्त, लोक शिक्षण, भोपाल, म0प्र0।
11. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, भोपाल, म0प्र0।
12. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग।
13. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल, म0प्र0।
14. आयुक्त, पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग, म0प्र0।

अवर सचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

वर्ष 2011–12 के लिए संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 के नियोजन हेतु गणना पत्रक

क0	जिले का नाम	दि0 1.1998 को व्याख्याता के कुल स्वीकृत पद			दि0 01–04–10 की स्थिति में पूर्व के सीधी भर्ती के अंतर्गत कार्यरत/रिक्त व्याख्याता /सं.शा.शि. श्रेणी–1/वरिष्ठ अध्यापक/शिक्षाकर्मी		दि0 1.1.98 के पश्चात् दिनांक 31–03–08 तक शिक्षाकर्मी वर्ग–1 एवं संशाशि श्रेणी–1 के स्वीकृत कुल पद	दि.01.04.08, के पश्चात लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सीधी भर्ती अंतर्गत संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 के स्वीकृत पद (परिशिष्ट–1(अ) के कॉलम क्रमांक 13 अनुसार)	दि0 01.01.98 के पश्चात् सीधी भर्ती अंतर्गत दि0 31–03–11 तक वरि. अ. /शिक्षाकर्मी वर्ग–1 एवं संशाशि श्रेणी–1 के स्वीकृत कुल पद (9+10)	दि0 01.01.98 के पश्चात् दि0 31.03.11 तक सीधी भर्ती अंतर्गत पदों पर कार्यरत वरि.अ. /शिक्षाकर्मी वर्ग–1 एवं संशाशि श्रेणी–1 के कुल पद (कालम क्रमांक 11 के विरूद्ध)	दि0 01.01.98 के पश्चात् दि0 31–03–11 तक सीधी भर्ती अंतर्गत रिक्त पद (11–12)	दिनांक 01.04.11 के उपरांत वरिष्ठ अध्यापक/सं.शा.शि. श्रेणी–1 के स्वीकृत पद	भर्ती अंतर्गत कुल रिक्त पद(7+13+14)	वरिष्ठ अध्यापक की पदोन्नति के पद	सं.शा.शि. श्रेणी–1 के लिए सीधी भर्ती के उपलब्ध पद	रिमार्क
		पदोन्नति	सीधी भर्ती	योग	कार्यरत (क्रमांक 4 के सीधी भर्ती के विरूद्ध कार्यरत)	रिक्त (4–6)										
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	श्योपुर	33	33	66	31	2	38	0	38	18	20	0	22	11	11	
2	मुरैना	130	131	261	110	21	44	48	92	41	51	8	80	40	40	
3	भिण्ड	136	136	272	129	7	23	10	33	25	8	24	39	19	20	
4	ग्वालियर	182	183	365	183	0	65	42	107	92	15	16	31	16	15	
5	शिवपुरी	101	101	202	95	6	37	26	63	37	26	40	72	36	36	
6	गुना	74	73	147	69	4	65	23	88	59	29	8	41	20	21	
7	अशोकनगर	45	47	92	47	0	24	3	27	23	4	16	20	10	10	
8	दतिया	62	62	124	38	24	23	9	32	26	6	24	54	28	26	
9	देवास	128	128	256	113	15	58	32	90	57	33	56	104	52	52	
10	रतलाम	109	109	218	109	0	47	37	84	47	37	32	69	34	35	
11	शाजापुर	140	140	280	140	0	27	66	93	61	32	32	64	32	32	
12	मन्दसौर	126	126	252	94	32	28	55	83	48	35	24	91	46	45	
13	नीमच	98	98	196	53	45	34	59	93	87	6	16	67	34	33	
14	उज्जैन	181	182	363	165	17	30	44	74	51	23	48	88	44	44	
15	इन्दौर	247	247	494	234	13	54	33	87	85	2	16	31	16	15	
16	धार	37	36	73	34	2	6	6	12	4	8		10	5	5	

	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17	खरगौन	63	62	125	44	18	10	24	34	16	18	16	52	26	26	
18	खण्डवा	72	72	144	65	7	26	49	75	37	38	24	69	34	35	
19	बुरहानपुर	22	22	44	16	6	20	31	51	11	40	16	62	32	30	
20	भोपाल	193	192	385	192	0	15	78	93	71	22	32	54	28	26	
21	सीहोर	104	104	208	84	20	105	54	159	90	69	48	137	68	69	
22	रायसेन	108	108	216	86	22	64	29	93	78	15	48	85	42	43	
23	राजगढ़	116	116	232	116	0	83	37	120	105	15	32	47	23	24	
24	विदिशा	84	85	169	69	16	80	128	208	112	96	56	168	84	84	
25	बैतूल	97	97	194	70	27	47	61	108	76	32	16	75	37	38	
26	होशंगाबाद	130	129	259	102	27	40	28	68	41	27	32	86	44	42	
27	हरदा	39	39	78	27	12	17	41	58	40	18	8	38	19	19	
28	सागर	215	207	422	189	18	59	53	112	92	20	48	86	43	43	
29	दमोह	123	124	247	113	11	77	50	127	102	25	88	124	62	62	
30	पन्ना	104	103	207	77	26	34	25	59	41	18	32	76	38	38	
31	छतरपुर	166	167	333	143	24	48	103	151	47	104	48	176	88	88	
32	टीकमगढ़	148	147	295	116	31	27	61	88	30	58	24	113	56	57	
33	जबलपुर	174	173	347	145	28	53	107	160	80	80	40	148	74	74	
34	कटनी	70	73	143	30	43	76	27	103	92	11	24	78	39	39	
35	नरसिंहपुर	131	131	262	113	18	20	43	63	29	34	32	84	42	42	
36	छिन्दवाड़ा	124	124	248	104	20	104	203	307	131	176	32	228	114	114	
37	सिवनी	68	69	137	63	6	24	10	34	3	31	24	61	30	31	
38	बालाघाट	106	105	211	105	0	110	56	166	127	39	40	79	39	40	
39	रीवा	293	293	586	186	107	94	54	148	89	59	40	206	103	103	
40	सीधी	149	150	299	100	50	139	37	176	152	24	16	90	45	45	
41	सिंगरौली	65	64	129	5	59	55	138	193	93	100	32	191	95	96	
42	सतना	230	230	460	146	84	77	45	122	92	30	56	170	85	85	
43	शहडोल	37	37	74	24	13	40	24	64	16	48		61	30	31	
44	उमरिया	35	36	71	24	12	32	40	72	42	30	8	50	25	25	
	योग	**5095**	**5091**	**10186**	**4198**	**893**	**2179**	**2129**	**4308**	**2696**	**1612**	**1272**	**3777**	**1888**	**1889**	

अवर सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग